न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस)

प्रकरण संख्याः- 19/2019

दायर दिनांकः- 22.03.2019

उनवान

1. जमना देवी पत्नि जगदीश नारायण
2. पूर्ण देवी पत्नि गणेश नारायण

} जाति हरियाण ब्राह्मण निवासी कानोता तह0 बस्सी जिला जयपुर।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. सीताराम पुत्र चतुर्भुज शर्मा
2. माया देवी पुत्री नाथूलाल पत्नि कमलेश
3. चन्द्रशेखर पुत्र नाथूलाल

} जाति ब्राह्मण निवासी गणेशपुरा तहसील दौसा जिला दौसा

4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार दौसा जिला दौसा।

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित : 1. श्री द्वारका प्रसाद शर्मा , अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री अशोक बटवाल, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:14:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा - अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट

::निर्णय::

दिनांकः

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस आशय से पेश किया कि ग्राम बापी तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 350 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 374 रकबा 1.16 है0, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 376 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 380 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 381 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 385/2171 रकबा 0.18 है0 तथा खसरा नम्बर 387 रकबा 2.23 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 6.50 है0 भूमि जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीयागण के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण काबिज रह कर काश्त करती व लाभान्वित होती चली आ रही है।

प्रार्थीयागण ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में बोरिंग बना रखा है जिससे प्रार्थीयागण अपनी कृषि भूमि में फसल सिंचाई करती है। प्रार्थीयागण की उक्त भूमि में आने-जाने हेतु रास्ता बना हुआ है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस रास्ते का प्रार्थीयागण अपनी कृषि भूमि पर आने जाने के उपयोग में लेती है। प्रार्थीयागण कानोता में रहती है व दस पांच दिनों में आकर अपनी खातेदारी की भूमि एवं फसल आदि की साल सम्हाल करती रहती है।

प्रार्थीयागण की उक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि व बोरिंग तथा रास्ते से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई लेना देना वास्ता व सरोकार नही है। परन्तु अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीयागण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में बने बोरिंग के प्रार्थीयागण के उपयोग-उपभोग में अनावश्यक रूप से दखलदांजी करते रहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.03.22 17:14:04 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वादग्रस्त आराजी व बोरिंग में प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल मदाखलत पैदा करने से फसल नष्ट करने से व जबरन कब्जा करने से प्रार्थीयागण को बेदखल करने से व उक्त भूमि पर आने जाने हेतु बने रास्ते पर कब्जा करने व प्रार्थीयागण के अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करने से उक्त रास्ते की भूमि को अपनी

भूमि में मिलाने से व बोरिंग को खुर्द बुर्द करने व नष्ट करने से स्वयं अप्राथीगण को एवं अपने परिवारजन, नौकर, एजेन्ट को हर प्रकार से ताफैसला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित कराने का निवेदन किया है।

उक्त वाद को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कर तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की असालतन तामील हो जाने के बावजूद न्यायायल में उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 07.08.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता अशोक बटवाल की ओर से पावर पेश किया गया। दिनांक 04.11.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पेश किया गया जिस शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सार्वभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के आधार पर निर्णित करना आवश्यक समझते हैः-

1. **<u>प्रथम दृष्ट्या मामलाः-</u>** इस अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्युंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है।

   उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में वादी जमना देवी पत्नी जगदीशनारायण व पूर्ण देवी पत्नी गणेशनारायण ने अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 350 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 374 रकबा 1.16 है0, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 376 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 380 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 381 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 385/2171 रकबा 0.18 है0 तथा खसरा नम्बर 387 रकबा 2.23 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 6.50 है0 पर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। हमारा विनम्र अभिमत है कि खातेदारी अधिकार होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:14:04 IST
Reason: SelfAttested

2. **<u>सुविधा का संतुलनः-</u>** अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा के संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्गत प्रकरण में व्यादेश नही दिया गया तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नही होगी।

चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है तथा खातेदारी अधिकार होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. **<u>अपूरणीय क्षतिः-</u>** उक्त प्रार्थना के आलोक में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन दोनो प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुये है। चूंकि वादीगण को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त है। यदि उक्त आरजी पर अप्रार्थीगण की ओर से किसी भी तरह से दखलदांजी की जाती है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

::आदेश::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांती साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे ग्राम बापी तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 350 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 374 रकबा 1.16 है0, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 376 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 380 रकबा [illegible] है0, खसरा नम्बर 381 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 385/2171 रकबा 0.18 है0 तथा खसरा नम्बर 387 रकबा 2.23 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 6.50 है0 भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल मदाखलत पैदा करने से फसल नष्ट करने से व जबरन

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:14:04 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा करने से प्रार्थीगण को बेदखल करने से उक्त भूमि पर आने जाने हेतु बने रास्ते पर कब्जा करने व प्रार्थीगण के अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करने से उक्त रास्ते की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने से स्वयं अप्रार्थीगण को एवम अपने परिवारजन, नौकर चाकर, एजेन्ट सर्वेन्ट अधिकारी कर्मचारी मित्र रिश्तेदार को ताफैसला पाबन्द किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के संलग्न हो।

फैसला आज दिनांक 25/1/21 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:14:04 IST
Reason: SelfAttested